न्यायालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

रा0प्र0क0/0033/अ–59 वर्ष 22–23
मौजा घुम्मुर प0ह0नं0– 63
रा0.नि.मं दमोह तहसील बिरसा
जिला बालाघाट म.प्र.

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट
——————आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

आदेश

(पारित दिनांक 12 दिसम्बर 2022)

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन के तहत वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने निवेदन किया गया है ।

वन विभाग को ग्राम घुम्मुर तहसील बिरसा स्थित शासकीय भूमि ख.न. 25/1क/1 रकबा 96.837 हे. में से 82.00 हे. भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में तहसीलदार बिरसा द्वारा प्रकरण न्यायालय में संस्थित कर कार्यवाही की गई। प्रकरण में ग्राम घुम्मुर पटवारी हल्का नंबर 63 राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट मे स्थित भूमि खसरा नं 25/1क/1 रकबा 96.837 हे. भूमि शासकीय राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के 9.837 हे. भूमि पर ग्रामवासियों के द्वारा कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है शेष 82.00 हे. भूमि रिक्त है। उक्त भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित करना उचित होगा। प्रतिवेदित किया गया है। जिसके संबंध में तहसीलदार बिरसा द्वारा प्रकरण में ग्राम घुम्मुर तहसील बिरसा स्थित शासकीय भूमि ख.न. 25/1क/1 रकबा 96.837 हे. में से 82.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण जांच कर अनुविभागीय अधिकारी रा0 बैहर के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर, तहसीलदार ब्रिरसा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम घुम्मुर तहसील बिरसा स्थित शासकीय भूमि ख.न. 25/1क/1 रकबा 96.837 हे. में से 82.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में खसरा, अधिकार अभिलेख, हल्का पटवारी प्रतिवेदन पंचनामा संलग्न है।

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें बालाघाट जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में RCPLWE योजनांतर्गत सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु मार्ग निर्माण में वन विभाग की भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति के प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि के एवज में क्षतिपर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को गैर वन भूमि राजस्व भूमि उपलब्ध कराये

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

जाने हेतु ग्राम घुम्मुर पटवारी हल्का नंबर 63 राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट मे स्थित भूमि खसरा नं 25/1क/1 रकबा 96.837 हे. भूमि शासकीय राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के 9.837 हे. भूमि पर ग्रामवासियों के द्वारा कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है शेष 82.00 हे. भूमि रिक्त है। प्रकरण में जांच उपरांत तहसीलदार बिरसा तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैहर द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु 82.00 हे. भूमि हस्तांतरित करने में अपनी सहमति दर्शायी है।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत राजस्व रिकार्ड में ग्राम घुम्मुर पटवारी हल्का नंबर 63 राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट मे स्थित भूमि खसरा नं 25/1क/1 रकबा 96.837 हे. भूमि शासकीय राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के 9.837 हे. भूमि पर ग्रामवासियों के द्वारा कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है शेष 82.00 हे. भूमि रिक्त है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 12.12.2022 में पारित स्वीकृति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत तथा अनुविभागीय अधिकारी रा. बैहर एवं तहसीलदार बिरसा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत ग्राम घुम्मुर पटवारी हल्का नंबर 63 राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट मे स्थित भूमि खसरा नं 25/1क/1 रकबा 96.837 हे. भूमि शासकीय राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के 9.837 हे. में से 82.00 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-दो की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट को निर्देशित किया जाता है, कि वे वन विभाग की समिति द्वारा जारी स्वीकृति की कंडिकाओं का पालन करते हुए कार्य संपादित करें ।

आज दिनांक 12/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आदेश पारित किया गया।

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर
बालाघाट (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बालाघाट (म.प्र.)

पृ0क्र0/263/रीडर/कले0/2022 बालाघाट दिनांक-13/12/2022

प्रतिलिपि :-

1- महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट ।
2- वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बालाघाट
3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर।
4- तहसीलदार बिरसा जिला बालाघाट ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
बालाघाट (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)